



मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999



मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

भाग-1

**मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961**

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

(मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग**

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1961—आषाढ़ 22, 1883.
(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 कहलायेंगे.

(2) ये नियम इनके “मध्यप्रदेश राजपत्र” सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783-1585-एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) किसी सेवा या पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए.
- (ख) “आयोग” से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है.
- (ग) “शासन” से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.
- (घ) “राज्यपाल” से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है.
- (ङ) “पद” से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान “आकस्मिकता निधि” से किया जाता हो.
- (च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है.
- (छ) “सेवा” से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो.

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**

Bhopal, the 13th July 1961, Asadha 22, 1883
(As amended upto 2-4-1998)

(Published in State Gazette dt. 4-8-1961).

No. 1783-1585-I (iii)-60.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following general rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961.

(2) These rules shall come into force on the date they are notified in the State Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;—

- (a) "Appointing authority" in respect of a service or post means the Government or such authority to whom the power of appointment to that service or post has been or may hereafter be, delegated by Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) A "Post" means a whole time employment under Government but does not include any employment where the employee is paid from contingencies;
- (f) "Prescribed" means prescribed by other rules framed under the Constitution of India relating to the service in connection with the affairs of the State, or by general or special executive instructions issued by the Government in that behalf;
- (g) A "Service" means a service of group of posts in connection with the affairs of the State other than the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, organized and designated as such by Government;

(ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

- (क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों,
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,
- (ग) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति.

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे.

4. वर्गीकरण.—(1) राज्य की लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी:—

- (एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, प्रथम श्रेणी.
- (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, द्वितीय श्रेणी.
- (तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)
- (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)
- (चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी.

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतरित न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा.

5. नियुक्ति के लिये पात्रता.—किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो—

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान

(h) The "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application.—The rules shall apply to every person who holds a post or is a member of a service in the State, except :—

- (a) persons whose appointment and conditions of employment are regulated by the special provisions of any law for the time being in force;
- (b) persons in respect of whose appointment and conditions of service special provisions have been made, or may be made hereafter by agreement;
- (c) persons appointed to the Madhya Pradesh Judicial Service :

Provided that in respect of any matter not covered by the special provisions relating to them, their services or their posts, these rules shall apply to the persons mentioned in clauses (a), (b) and (c) above.

4. Classification.—(1) The public services of the state shall be classified as follows :—

- (i) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-I.
- (ii) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-II.
- (iii) (a) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-III (Non-Ministerial);
(b) The Madhya Pradesh Civil Services, Class III (Ministerial); and
- (iv) The Madhya Pradesh Civil Services, Class IV.

(2) The classification of an existing service or post and of a new service or post shall be as determined by the Government :

Provided that the classification of an existing service or post under the orders that may have been issued before the coming into force of these rules shall be deemed to be its classification under these rules unless modified by special or general orders issued in this behalf;

Provided further that a change in classification of a service or post from class I to class II or from class II to class III or from class III to class IV shall not be deemed to be a reduction in rank of the person affected.

5. Eligibility for appointment.—A candidate for appointment to a service or post must be either—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Sikkim; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of

- से आया हो, या
(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये.

टिप्पणी.—1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए. तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे.

- (एक) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं.
- (दो) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है.
- (तीन) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं.

टिप्पणी.—2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए.

6. अनर्हताएं.—(1) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी :

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(2) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यक्षीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी.

(3) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है.

- permanently settling in India; or
 (d) a subject of Nepal or of a Portuguese or French territory of India.

Note.—The appointment of candidates in categories (c) and (d) above will be subject to the issue of a certificate of eligibility by the State Government in their favour. The certificate of eligibility in respect of a candidate belonging to category (c) above will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he can be retained in service only if he has become a citizen of India. Certificates of eligibility will not, however, be necessary in the cases of candidates belonging to any one of the following categories :—

- (i) persons who migrated to India from Pakistan before the 19th July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then;
- (ii) persons who migrated to India from Pakistan after the 18th July, 1948 and have got themselves registered as citizens;
- (iii) non-citizens in categories (c) and (d) above who entered service under the Government before the commencement the Constitution, namely, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then.

Note. 2—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be appointed provisionally subject to the necessary certificate being eventually issued in his favour by the State Government.

6. Disqualifications.—(1) No male candidate who has more than one wife living and no female candidate who has married a person having already a wife living shall be eligible for appointment to any service or post :

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

(2) No candidate shall be appointed to a service or post unless he has been found, after such medical examination as may be prescribed, to be in good mental and bodily health and free from any mental or bodily defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service or post:

Provided that in exceptional cases a candidate may be appointed provisionally to a service or post before his medical examination, subject to the condition that the appointment is liable to be terminated forthwith if he is found medically unfit.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post if, after such enquiry as may be considered necessary, the appointing authority is satisfied that he is not suitable in any respect for the service or post.

* (4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायगा.

7. **भरती का तरीका.**—किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) सीधी भरती द्वारा,

(दो) पदोन्नति द्वारा,

(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

8. **परिवीक्षा.**—(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणतः ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

****टिप्पणी विलोपित :**

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेंगी.

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 द्वारा जोड़ा गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-10-96 में प्रकाशित हुआ है.

****टिप्पणी :—**(सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 द्वारा विलोपित की गई है).

उपनियम (2) की टिप्पणी निम्नानुसार थी :—

टिप्पणी.—ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसकी परिवीक्षा अवधि इस उप नियम के अधीन बढ़ाई न गई हो, किन्तु जिसे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् न तो सेवा में स्थायी ही किया गया हो और न ही सेवा मुक्त किया गया हो, इस शर्त के अधीन सेवा में रखा गया समझा जायेगा कि उसकी सेवा किसी भी पक्ष द्वारा दी गई एक अंग्रेजी माह की लिखित सूचना की अवधि व्यतीत होने पर समाप्त की जा सकेगी.

*(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

7. **Methods of Recruitment.**—Candidates shall be selected for appointment to a service or post by one or more of the following methods as may be prescribed, namely :—

- (i) direct recruitment;
- (ii) promotion;
- (iii) transfer of person or persons already employed in another service or post :

Provided that the commission shall be consulted before a person is appointed to a service or post if such consultation is necessary under Article 320 of the Constitution read with the Madhya Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957.

8. **Probation.**—(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall ordinarily be placed on probation for such period as may be prescribed.

(2) The appointing authority may, for sufficient reasons, extend the period of probation by a further period not exceeding one year.

****Note.**—(Omitted).

(3) A probationer shall undergo such training and pass such departmental examination during the period of his probation as may be prescribed.

(4) The services of a probationer may be terminated during the period of probation if in the opinion of the appointing authority he is not likely to shape into a suitable Government Servant.

(5) The services of a probationer who has not passed the departmental examinations or who is found unsuitable for the service or post may be terminated at the end of the period of his probation.

* In rule 6 subrule (4) added vide GAD Notification No. FN-C-3-17-96-3-1, dated 25-10-96, published in "Madhya Pradesh Gazette, dated 25-10-96.

** Note omitted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 09-12-74, published in "Madhya Pradesh Gazette" dated 20-12-74.

* (6) सफलतापूर्वक परीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा।

** (7) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप-नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें "मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी."

9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण.—(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती हैं तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है।

* यह उप नियम सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 पूर्व के उप नियम के स्थान पर स्थापित किया गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित हुआ है।

पूर्व का उप-नियम 6 निम्नानुसार है :—

(6) परीक्षा के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, स्थायी कर दिया जायगा।

** उपनियम (7) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15-74-3-एक, दिनांक 9-12-74 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित किया गया।

*(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise, a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the not availability of the permanent post and they as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

*(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (4), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servant (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960.

9. Trial for suitability of officiating Government Servants.—(1) A person already in permanent government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for the period of two years to ascertain his suitability for the service or post;

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particulars case :

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by further period not exceeding one year :

Provided that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment rules governing appointments to such posts and the rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

* Sub rule (6) substituted and sub-rule (7) inserted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 9-12-74. published in 'Madhya Pradesh Gazette' dated 9-12-74.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

टिप्पणी:—विहित विभागीय परीक्षाएँ, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थापनापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा।

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसी ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा।

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा का पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

10. **पदक्रम सूची.**—प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे:

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न-भिन्न शाखाएँ या समूह हो और साधारणतः एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानान्तरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये एक पृथक् पदक्रम सूची रखी जायेगी।

11. **राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियाँ.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का प्रभाव यह नहीं होगा कि उसके कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार की गई शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित पदक्रम सूची में उसकी वरिष्ठता परिवर्तित हो जायेगी।

*12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:—

(1) **सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

* नियम 12 सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2-4-98 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-4-98 में प्रकाशित हुआ. पूर्व नियम पृष्ठ 47 पर हैं.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the government servant is found unsuitable for the service or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note.—The failure to pass prescribed departmental examination, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government Servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government Servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post.

10. Gradation List.—A gradation list shall maintained for each service in which shall be arranged in order of seniority the names of the Government servants holding the posts included in that service :

Provided that when a service consists of two or more distinct branches or groupes of posts and transfers are not ordinarily made from one branch or group of posts to another, a separate gradation list shall be maintained for each branch or group of posts of such service.

11. Gradation lists prepared in connection with State Re-organisation.—Nothing in these rules shall have the effect of altering the seniority of a Government Servant in the gradation list relating to his service prepared in pursuance of the provisions of the State Re-organisation Act, 1956.

***12. Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz—

- (1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

* Rule 12 substituted vide GAD Notification No. C-3-84/92/3/1 dated 02-04-98 published in "M. P. Gazette" (Extraordinary) dated 02-04-98.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भरती की परीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिये।

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे।

2. स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिये उपबन्धित भरती नियमों में उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथा स्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा।

- (b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.
- (c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.
- (d) The seniority of a person, whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted, shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list of from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.
- (e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.
- (f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.
- (g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruits.

2. Seniority of Transferees.—(a) The relative seniority of persons appointed by transfer from one department to another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

- (b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the event of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियन किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी। तथापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यक्षीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

3. विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवा की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी की उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश के शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि:—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो तथा,

(दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार, सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

- (c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

2. Seniority in special types of cases.—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office their inter-se-seniority in the later office shall be the same as in their previous office provided that :—

- (i) no direct recruits has been selected for appointment to that grade in between these dates, and
- (ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. Seniority of Adhoc employees.—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

13. **पदोन्नति.**—शासन प्रत्येक ग्रेड या सेवा के संबंध में, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, ऐसा ग्रेड या सेवा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सकेगी तथा वह ऐसे प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विशेष रूप से यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर इस शर्त के अधीन की जायेगी कि पदोन्नति के अयोग्य समझे गये व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जायगा या क्या पदोन्नति के लिये चयन ऐसे व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा जो निम्न ग्रेड या सेवा में ऐसी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, जो कि विहित की जाये.

14. **प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति.**—उच्च ग्रेड या सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थायी शासकीय कर्मचारी उस निम्न ग्रेड या सेवा में जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था, उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं जब उच्च ग्रेड या सेवा में कोई रिक्त स्थान न हो और ऐसा प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं समझी जाएगी:

परन्तु वह आदेश जिसमें ऐसा प्रत्यावर्तन किया जाएगा, उस आदेश का उलटा होगा जिससे स्थानापन्न पदोन्नति की गई हो, किन्तु केवल उस स्थिति को छोड़ जिसमें प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को इस परन्तुक के अनुसार नहीं किन्तु अन्यथा प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाये:

परन्तु यह और कि कोई स्थान रिक्त होने पर उच्च ग्रेड या सेवा में पुनर्नियुक्ति सामान्यतः प्रत्यावर्तित शासकीय कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जाएगी.

15. **रक्षोपाय.**—इन नियमों या इनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश में दी गई किसी बात के प्रभावस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार या सुविधाधिकार से वंचित नहीं होगा जिसका वह—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन, अथवा

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति और शासन के बीच विद्यमान किसी संविदा या करार के निर्बन्धनों द्वारा हकदार हो:

16. **छूट.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु जब किसी व्यक्ति के मामले में किसी नियम को शिथिल किया जाये, तो मामले पर ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस व्यक्ति के लिये उस नियम में उपबंधित रीति से कम हितकर हो.

17. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा:

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हो, एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

13. Promotion.—The Government shall determine in respect of each grade or service to which appointment may be made by promotion, the grade or service from which such promotion may be made and the procedure to be followed for the purpose, and in particular whether such promotion shall be on the basis of seniority subject to the rejection of the persons considered unfit for promotion or whether the selection for promotion shall be determined on the basis of merit from among persons who had completed in the lower grade or service such minimum period of service as may be prescribed.

14. Reversion and re-appointment.—Permanent Government servants officiating in a higher grade or service may be reverted to the lower grade or service from which they were promoted if there are no vacancies in the former grade or service, and such reversion shall not be construed to be a reduction in rank :

Provided that the order in which such reversion shall be made will be the reverse of the order in which officiating promotion was made, except when administrative convenience renders it necessary to revert and officiating Government servant otherwise than in accordance with this proviso :

Provided further that on the occurrence of a fresh vacancy the re-appointment to the higher grade or service shall ordinarily be in the order of relative seniority of the reverted Government Servants.

15. Safeguards.—Nothing in these rules or in any order issued under them shall have the effect of depriving any person of any right or privilege to which he is entitled—

- (a) By or under any law for the time being in force, or
- (b) By the terms of any contract or agreement subsisting between such person and the Government at the commencement of these rules.

16. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person serving in a connection with the affairs of the State in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that where any rule is relaxed in the case of any person, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided by that rule.

17. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

18. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एच. एस. कामथ)

मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 1974 के भाग 4 (ग) में प्रकाशित]

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Sd./-

(H. S. KAMATH)

Chief Secretary to

Government of Madhya Pradesh.

भाग-2

मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

में

समय-समय पर किये गये

संशोधन

तथा

उसके तहत जारी निर्देश

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 8 में,—

- (1) उपनियम (2) के नीचे दिये गये टिप्पण का लोप किया जाय,
- (2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

“(6) सफलता पूर्वक परीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.”

- (3) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

“(7) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिसे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेटस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 3-15-74-3-एक, दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

(Published in "Madhya Pradesh Gazette Part-4" dated 20th December 1974)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
General Administration Department

Bhopal the 9th December, 1974

F. No. 3-15-74-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 8—

- (1) the note below sub-rule (2) shall be omitted;
- (2) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed."

- (3) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (1), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servants (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANAND MOHAN, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण.

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती से नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा पर ही नियुक्त किया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाए. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को, यदि परिवीक्षावधि समाप्त होने पर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो, भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा, तब स्थायी किया जाएगा, तथा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जावेगा.

2. परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नलिखित अनुसार संरक्षित रहेगा:—

- (1) स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के, निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा.
- (2) उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां मूलभूत नियम 22 (सी) के उपबंधों के अनुसार शासित होगी, अर्थात् उनके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतन वृद्धियां भी संरक्षित रहेगी.
- (3) अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार परिवीक्षा पर ही की जाये जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भरती से नियुक्तियां की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./—

(आनन्द मोहन)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रतिलिपि:—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षक)/लेखाधिकारी
सचिवालय, भोपाल.

4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उपसचिव
के निजी सचिव/निजी सहायक.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1

भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय:—परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में.

संदर्भ:—इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3/15/74/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जाएं एवं उनका वेतननिर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय. इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है:—

- (1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए. यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियां, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियां मिलती रहें.

- (2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपयुक्त नियम के

अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए, जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे।

- (3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवाएं उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए।
- (4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (7) का प्रावधान लागू होगा। यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो। इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें बेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा।

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपयुक्त अनुदेश के अनुसार निपटायें जायें, जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके।

3. जहां तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतनवृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है।

हस्ता./-

(जी. बैंकना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1

भोपाल, दिनांक 30 मई 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

3. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-

उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 288/636/1(3) 79

भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम (7) के अंतर्गत अस्थायी शासकीय सेवक मानकर उसे उसको परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है. महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि:—

- (1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया है और न ही सेवा से पृथक् करने के आदेश प्रसारित किये हैं और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र किया गया है.
- (2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत अस्थायी शासकीय सेवक माने गए हैं उनके संबंध में यह है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थायी सेवा आरंभ करेंगे.

3. महालेखाकार द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि:—

- (1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परीक्षाकाल समाप्त हो गया उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा। ऐसे उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटारे जाएंगे। उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परीक्षा पर नियुक्त किये गए हैं।
- (2) जिन परीक्षाधीन व्यक्तियों की उक्त नियम के उप नियम () के अंतर्गत परीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवृद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा। परीक्षा समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी।

4. सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार परीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें।

हस्ता./—

(एल. एन. मीणा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग।

डी. क्रमांक 289/636/1(3)79

भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण
के निजी सचिव/निजी सहायक.
4. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को उनके द्वारा विशेष सचिव वित्त विभाग को संबोधित अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक टी. एम. 1/तीन/1(3), दिनांक 30-3-1979 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./—

अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 147/380-1(3)80

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण-पत्र के आधार पर स्थायी मानना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा. शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एल. एन. मीणा)

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 148/380-1(3)80

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-

(कें. एन. श्रीवास्तव)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987

एफ. क्रमांक सी/3-4/87/3/1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

“9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण”—

- (1) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाय, उन सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाय, परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए विहित है.

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

- (3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाए, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो

उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी.—विहित विभागीय परीक्षाएं, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाय, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जाएगा.

- (4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिए जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाय तो यदि स्थायी पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा.
- (5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उपनियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Bhopal, the 7th May 1987

E. No. C-3-4/87/3/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 9 the following rule shall be substituted, namely :—

"9. Trial For suitability of Officiating Government Servants.

(1) A person already in permanent Government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for a period of two years to ascertain his suitability for the service or post:

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particular case:

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by a further period not exceeding one year:

Provided that if the Government Servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment Rules governing appointments to such posts and the Rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the Rules.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the Government Servant is found unsuitable for the service or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note:—The failure to pass the prescribed departmental examinations, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed; otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant, who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Sd./-

(K. N. SHRIVASTAVA)

Deputy Secretary,

Government of Madhya Pradesh,
General Administration Department.

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग**

एफ. क्र. सी-3-4/87/3/1

भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 9 में किसी पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परीक्षण पर रखने तथा परीक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी करने की व्यवस्था थी, परन्तु उक्त नियम में परीक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, स्थानापन्नता की अवधि को आवश्यक होने पर कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था. इस प्रकार का प्रावधान न होने से नियमों के निर्वचन में एकरूपता नहीं थी एवं कई प्रशासनिक कठिनाईयां आती थीं. अतः उक्त नियमों में उपरोक्त व्यवस्था का प्रावधान करने हेतु दिनांक 7 मई 1987 के असाधारण राजपत्र द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए हैं. उपर्युक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब पदोन्नति अथवा स्थानांतर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक होगी:—

- (i) इस प्रकार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक को सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा. यदि सम्बन्धित पद को प्रौढ़ सेवा भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी भरा जाता है तो स्थानापन्नता (परीक्षण) की अवधि उस परिवीक्षा की अवधि के बराबर होगी जो नियमों के अनुसार सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है;
- (ii) स्थानापन्नता (परीक्षण) की कालावधि आवश्यक होने पर पर्याप्त कारणों से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी;
- (iii) परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जाएगा किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हों तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि “स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा.”

2. उपर्युक्तानुसार दिनांक 7 मई, 1987 को राजपत्र में अधिसूचित, संशोधन की अधिसूचना संलग्न करते हुए निवेदन है कि इसमें उल्लिखित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लिया जाये और इनके अनुसार कार्यवाही का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. एफ. क्र. सी-3-4-8-3-1

भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

प्रतिलिपि:—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/
निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सा. प्र. वि.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. सी. श्रीवास्तव)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 25 अक्टूबर 1996 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ. क्र. सी-3-17-96-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

क्र. सी-3-17-96-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th October 1996

F. No. C-3-17-96-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following an amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (3) of rule-6, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण), दिनांक 2 अप्रैल 1998 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. एफ. सी-3-84-92-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

1. **सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.
- (ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.
- (ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

- (ड) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

- (च) यदि किसी सीधी भर्ती की परीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

- (छ) यदि सीधी भर्ती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

- (ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

- (ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियन किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

- (3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह

भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवा की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

- (ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।
- (ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।
- (घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो।

4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।

- (ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. सी-3-84-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 1998

No. F. 8-C-3-84-92-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, for rule 12 the following rule shall be substituted namely :—

12. Seniority.—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz—

- (1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.
- (b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.
- (c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.
- (d) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted. Shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.
- (e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

- (f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned

the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

- (g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruits.
- (2) **Seniority of Transferees.**—(a) The relative seniority of persons appointed by transfer from one department of another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.
- (b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the event of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.
- (c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

- (3) **Seniority in special types of cases.**—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.
- (b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

- (c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.
- (d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another, office their *inter-se-seniority* in the latter office shall be the same as in their previous office provided that,—
 - (i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates, and
 - (ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

- (b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा [सेवा की सामान्य शर्तें] नियम, 1961 का पूर्व नियम 12

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या पद समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधे भरती किए गये व्यक्ति

(एक) सीधी भरती द्वारा परीक्षा पर नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, उसकी परीक्षा के दौरान, उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी:

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षा पर नियुक्ति के लिये चयन एक ही समय किया गया हो तो इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उन मामलों में, जिनमें आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्तियों की जाती हों, उस योग्यता-क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी सिफारिश की गई हो, तथा अन्य मामलों में चयन के समय नियुक्ति प्राधिकृत द्वारा अवधारित योग्यता-क्रम के अनुसार होगी.

(दो) सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों के स्थायी किये जाने पर भी पारस्परिक वरिष्ठता का यही क्रम रखा जाएगा यदि उनके स्थायीकरण का आदेश परीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर दिया जाए. तथापि, यदि सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी यह बात अवधारित करेगा कि उसे वही वरिष्ठता प्रदान की जाए जो उसे परीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर स्थायी किये जाने पर प्रदान की जाती अथवा उसे कोई निम्न वरिष्ठता प्रदान की जाए.

(ख) पदोन्नत शासकीय कर्मचारी

“पदोन्नत शासकीय कर्मचारी अपनी वरिष्ठता की गणना, जिस सेवा में उसे पदोन्नत किया गया हो, उसमें उसके स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पदक्रम-सूची में उसका नाम उस सेवा के अन्तिम स्थायी सदस्य के नाम के ठीक नीचे, किन्तु समस्त परीक्षाधीन व्यक्तियों के नामों के ऊपर लिखा जाएगा:

परन्तु जब दो या दो से अधिक पदोन्नत शासकीय कर्मचारी एक ही तारीख से स्थायी किये गये हों, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया हो, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, एक तो उस क्रम का, जिसमें उनके नाम ऐसी योग्यता सूची में, यदि कोई हो, लिखे हों, जो उनकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता अवधारित करने के लिये तैयार की गई हो और दूसरे उस निम्न सेवा में, जिससे वे पदोन्नत किये गये हों, उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा.”

(ग) स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी

(किसी उच्च सेवा में या पदों के किसी उच्च प्रवर्ग में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिये पदोन्नत शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी स्थानापन्नता की अवधि के दौरान वही रहेगी, जो कि उनकी मूल सेवा या ग्रेड में रही

हो चाहे उच्च सेवा या ग्रेड में उन्होंने स्थानापन्न के रूप में किन्हीं भी तारीखों से कार्य प्रारंभ किया हो—

परन्तु ;

(एक) यदि स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये उनका चयन किसी ऐसी सूची से किया गया हो, जिसमें उच्च सेवा या ग्रेड में परीक्षण के बतौर कार्य करने के लिये या पदोन्नत के लिये उपयुक्त समझे गये शासकीय कर्मचारियों के नाम योग्यता-क्रम से दिये गये हों तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता ऐसी सूची में दिये गये उनके योग्यता-क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(दो) किसी ऐसे स्थायी शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसे अन्य सेवा या पद पर स्थानान्तरण द्वारा स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ रूप से अवधारित की जाएगी:

परन्तु ऐसे शासकीय कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वरिष्ठता अवधारित की जाएगी और विमुक्ति के आदेश में उसे सूचित की जायगी;

(तीन) जब किसी स्थायी शासकीय कर्मचारी को किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग में पदावनत कर दिया जाए तो उसका नाम बाद की सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग की पदक्रम सूची में दिये गये सभी व्यक्तियों के नामों के ऊपर तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी किसी विशेष आदेश द्वारा ऐसे पदावनत शासकीय कर्मचारी के लिये पदक्रम सूची में कोई भिन्न स्थान सूचित न करें;

(चार) जब किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उसकी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए तो वह, उसकी मूल नियुक्ति, जिस पर वह अन्य सेवा या पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाने के पहले रहा हो, से संबंधित पदक्रम सूची में उसका जो स्थान रहा हो उस स्थान पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.-2
डब्ल्यू. पी./505/2000.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी.: 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फाल्गुन 20, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000.

क्र. सी-3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2000

No. F. C. 3-3-2000-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.

(6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M. K. VERMA, Dy. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2005—माघ 27, शक 1926

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) में,—

(1) शब्द “वर्तमान विभाग” के स्थान पर, “मूल विभाग” स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

(2) शब्द “जो भी बाद में हो” के स्थान पर, शब्द “जो भी पूर्वतर हो” स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 14 दिसम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. एस. भटनागर, अपर सचिव:

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-सी-3-1-2004-3-एक, दिनांक 16 फरवरी, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th February, 2005

No. C-3-1-2004-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in clause (c) of sub-rule (2) of rule 12,—

- (1) for the words “present department” the words “parent department” shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 2nd April, 1998.

- (2) for the words “whichever is later” the words “whichever is earlier” shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 14th December, 1999.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. S. BHATNAGAR, Addl. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2006—आषाढ़ 14, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्र. सी-3-8-2006-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्र. सी-3-8-2006-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-8-2006-3-एक, दिनांक 5 जुलाई 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th July 2006

No. C-3-8-2006-3-One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (6), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January 2001, in which two or more than two children are born.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJENDRA SHARMA, Dy. Secy.

इसे वेबसाइट www.govtpressup.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—पृष्ठ 3, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. सी. 3-3-2013-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 6 में, उपनियम (5) का लोप किया जाए,

No. C-3-3-2013-1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, sub-rule (5) Shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजधिये, उपसचिव.